of coins (of a total face value of Rs. 130 crores) as a one time measure.

(c) and (d) Under RBI Act, 1934, Reserve Bank is required to issue notes/ coins in exchange to any member of public. there is also no restriction on exchange of notes/coins among public themselves. However, due to shortage of coins unscrupulous elements do take advange of the situation. Government and RBI have taken steps to agument the supply of coins and simplify note exchange facility to ease this position.

Need to Increase Domestic Tourism

*199. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 100 million domestic tourists visit tourist sites all over India;

(b) if so, whether Government would consider this to be an important area for the tourism industry to target; and

(c) what are the plans of Government on the development of this potential?

THE MINISTER OF PARLIAMENTRY AFFAIRS AND THE MINISTER OF TOURISM (SHRI SRIKANTA KUMAR JENA): (a) According to the statistics available from State/UT Governments, the domestic tourist visits registered by the accommodation units during 1996 were estimated to be 141 million.

(b) and (c) The development of infrastructure for domestic tourism is being given considerable emphasis and a number of schemes like tourist complexes, tourist bungalows, yatri niwases, wayside amenities, etc. are being implemented by the State Government with Central financial assistance.

छोटे और बड़े परदे पर अश्लील और हिंसक दृश्य दिखाए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध

*200. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि छोटे और बड़े परदे पर दिखाए जाने वाले अश्लील और हिंसक दृश्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संबंध में कुछ महिला संगठनों ने इसके विरोध में धरना दिया था या सरकार से कोई अपील की थी;

(ग) अश्लील तथा हिंसक दृश्यों के प्रदर्शन के लिए कौन-कौन से व्यक्ति/एजेन्सियां जिम्मेवार हैं और क्या सरकार इन व्यक्तियों/तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अश्लील और हिंसक दृश्यों के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस॰ जयपाल रेड्डी): (क) दूरदर्शन फिल्मों सहित अपने सभी कार्यक्रमों को प्रसारित करने से पहले उनका पूर्वदर्शन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि वे परिवार के साथ देखे जाने के लिए उपयुक्त हों और प्रसारण तथा विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हों। इसके अलावा, दूरदर्शन केवल केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित फिल्मों पर विचार करता है। जहां तक फिल्मों का संबंध है, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु प्रमाणित करने से पहले उनमें अश्लीलता एवं हिंसा के दृश्यों को दूर करने के प्रति सचेत रहता है और यह सुनिश्चित करता है कि फिल्मों में कलात्मक अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मक स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से काटे बिना फिल्मों का माध्यम समाज के मूल्यों एवं मानकों के प्रति जवाबदेह एवं संवेदनशील बना रहे।

(ख) कुछ महिला संगठनों ने थियेटरों में दिखाई गई कुछ फीचर फिल्मों और विभिन्न चैनलों पर प्रसारित [illegible] प्रकट किया है।

(ग) यद्यपि, किसी व्यक्ति को किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड